न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

प्रकरण संख्या :– 41/2019 (आर0सी0एम0एस0 नं0 2019/00065)

व उनवानी प्रकरण :–

1. आशाराम पुत्र बदन सिहं जाति गुर्जर निवासी बिरजापुर थाना मनियाँ जिला धौलपुर————————————————————— .प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर———————————अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री कान्ता प्रसाद शर्मा अभिभाषक ।
2. अप्रार्थी की ओर से :–सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

निर्णय दिनांक 27.1.2020

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री आशाराम पुत्र श्री बदन सिहं जाति गुर्जर निवासी बिरजापुरा थाना मनियाँ जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 9/2000 जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 14.12.2016 को प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त कही। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 8580 दिनांक 27.12.2016 व 1596 दिनांक 26.4.2018 एवं 3062 दिनांक 6.8.2018 से प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुसंषा की थी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 9/2000 को आदेश दिनांक 10.9.2018 से निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे ।

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

उक्त आदेश दिनांक 10.9.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 9.8.2019 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश दिनांक 10.9.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुए पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 9.8.2019 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री कान्ता प्रसाद शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी की ओर से सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी उपस्थित हुई। प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पत्र दिनांक 5.9.2019 के जरिये जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.10.2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना मनियाँ मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त मनियाँ से जांच कराई गई। जॉच रिपोर्ट में अकिंत किया कि खुफिया तौर पर प्रार्थी के बारे में जानकारी की तो पता चला कि प्रार्थी ग्राम बिरजापुरा का मूल निवासी है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सरपंच से लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त किया। गॉव के दो व्यक्तियों के लिखित बयान लिये गये। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज प्राप्त करने चाहे तो प्रार्थी ने बताया कि बाकी के सारे कागजात जिला कलेक्ट्रैट में जमा है। प्रार्थी व गवाहों से शस्त्र अनुज्ञा पत्र के निरस्त होने का कारण पूछा तो उन्होनें कहा कि हमें कारणों का नहीं पता। प्रार्थी के विरूद्ध मुताविक रिकोर्ड थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर 470/1997 धारा 323, 341 में पंजीबद्ध हुआ जिसमें चार्जशीट नम्बर 355 दिनांक 31.12.1997 को किता न्यायालय की गई। जिसमें न्यायालय द्वारा राजीनामा दिनांक 15.2.2000 को कराया जा चुका है तथा मुकदमा नम्बर 238/2001 धारा 147, 148, 323, 341, 325 आई पी सी में चार्जशीट नम्बर 159 दिनांक 25.7.2001 को किता की गई जिसमें फैसला न्यायालय द्वारा राजीनामा दिनांक 18.11.2002 को कराया जा चुका है। शस्त्र. निलम्बन अवधि में दिनांक 2.5.2017 को थाना मनियाँ पर जमा किया जा चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध मारपीट व शारीरिक हिंसा के दो आपराधिक अभियोग पंजीबद्ध हुये दोनों में राजीनामा के आधार पर न्यायालय से बरी किया है। आवेदक की प्रवृत्ति हिंसक है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र को पुन बहाल करना उचित नहीं माना है तथा प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा नही की है।

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * धौलपुर (राज0) *

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 9/2000 को समयावधि में नवीनीकरण कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2016 को अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अकिंत किया कि प्रार्थी के विरूद्ध मुताविक रिकोर्ड थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर 470/1997 धारा 323, 341 में पंजीबद्ध हुआ जिसमें चार्जशीट नम्बर 355 दिनांक 31.12.1997 को किता न्यायालय की गई। जिसमें न्यायालय द्वारा राजीनामा दिनांक 15.2.2000 को कराया जा चुका है तथा मुकदमा नम्बर 238/2001 धारा 147, 148, 323, 341, 325 आई पी सी में चार्जशीट नम्बर 159 दिनांक 25.7.2001 को किता की गई जिसमें फैसला न्यायालय द्वारा राजीनामा दिनांक 18.11.2002 को कराया जा चुका है। शस्त्र. निलम्बन अवधि में दिनांक 2.5.2017 को थाना मनियाँ पर जमा किया जा चुका है। प्रार्थी ने वर्ष 2001 से वर्ष 2016 तक शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। इस तथ्य को जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्ष 2001 के पश्चात् कोई अभियोग दर्ज नहीं हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट से होती है। उक्त प्रकरणों के परिपेक्ष्य में नवीनीकरण नहीं किये जाने की अभिशंषा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। शस्त्र निरस्तीकरण आदेश के पश्चात् पुलिस थाना मनियाँ में जमा है। प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र थाने में जमा है जिसके खराब होने की आशंका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 9/2000 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध थाना मनियाँ में दो मुकदमें दर्ज हुऐ है जिनमें राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग कर सकता हैं। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो कतही गलत नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की है। आदेश दिनांक 10.9.2018 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । प्रार्थी ने समयावधि में अपना

(आर० के० जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज०)

शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की है। लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शस्त्र का दुरूपयोग नहीं हुआ है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का शस्त्र थाने में जमा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध दो प्रकरण वर्ष 1997 एवं 2001 मे आई पी सी की धाराओं में पजींबद्ध हुए जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा जरिये राजीनामा फैसल किये जा चुके है। एक मुकदमा जो वर्ष 1997 का बतलाया गया है जबकि प्रार्थी को अनुज्ञा पत्र वर्ष 2000 में जारी हुआ है। इस प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक ने नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की जो सिफारिश की उस समय इस मुकदमा का हवाला अपनी रिपोर्ट में नहीं दिया । वर्ष 2001 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र वर्ष 2016 तक नवीनीकरण किया गया है। वर्ष 2001 के पश्चात् प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हैं। वर्ष 2001 के पश्चात् जब जब भी प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया गया था तब तब नवीनीकरण के सम्बन्ध में पुलिस की रिपोर्ट ली गई थी उसके पश्चात् ही शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया गया था उस समय पुलिस द्वारा नवीनीकरण नहीं किये जाने की सिफारिश क्यों नहीं की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.12.2016 में नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की है तथा रिपोर्ट दिनांक 26.4.2018 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंसा की है एवं दिनांक 6.8.2018 एवं 18.10.2019 से नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्टो के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण से रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी राय में एक अनुज्ञापत्रधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही महत्वपूर्ण होता हैं । जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में प्रार्थी के खिलाफ मुकदमा दायर होना अकिंत है एवं उनका बरी होना भी अकिंत है। जिन मुकदमों का हवाला दिया गया है उन प्रकरणों में लाईसैन्सी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया गया है। ऐसा भी कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आया जिससे यह जाहिर होता हो कि किसी संगीन अपराध का ऐसा कोई प्रकरण प्रार्थी के खिलाफ दायर हुआ हो अथवा उसमें सजा हुई हो। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में भी लाईसैन्सी हथियार के दुरूपयोग अथवा किसी संगीन अपराध का भी हवाला नहीं किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी एक रिपोर्ट में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंसा की है तथा शेष तीन रिपोर्टो में अनुशंसा नहीं की है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करना एवं नवीनीकरण रोका जाना न्यायाचित नहीं है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक: प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि "**तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र**

(आर० के० अग्रसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।" राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी श्री आशाराम पुत्र श्री बदन सिहं जाति गुर्जर निवासी बिरजापुरा थाना मनियाँ जिला धौलपुर के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 9/2000 को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी श्री आशाराम पुत्र श्री बदन सिहं जाति गुर्जर निवासी बिरजापुरा थाना मनियाँ जिला धौलपुर का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 9/2000 को दिनांक 31.12.2019 तक नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.1.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आर0के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर